एवी-29017/14/2020-डीटी
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन, ब्लॉक
नई दिल्ली, दिनांक: 21.11.2022

आदेश

विषय: घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ान परिचालन हेतु कोविड-19 दिशानिर्देशों की समीक्षा – संबंधी।

मार्च, 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन तथा उसके पश्चात हवाई सेवाओं के पुनः प्रारम्भ होने के उपरांत, नागर विमानन मंत्रालय ने समय-समय पर परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन एवं परिवर्तन जारी किए, ताकि वायु परिचालन का सुचारु संचालन, यात्रियों की सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके तथा हवाई यात्रा के दौरान कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। इन दिशानिर्देशों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के विकसित होते दिशानिर्देशों / परामर्श के अनुसार समय-समय पर संशोधन एवं पुनरीक्षण किया गया है। अन्य नियामक निकाय जैसे कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) आदि ने भी अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत संबंधित हितधारकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने दिनांक 10.05.2022 को आदेश संख्या एवी-29017/14/2020-डीटी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय परिचालन हेतु कोविड-19 दिशानिर्देशों की अंतिम समीक्षा की थी।

कोविड-19 संक्रमण के मामलों में निरंतर गिरावट तथा वैश्विक स्तर पर एवं भारत में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के दृष्टिगत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में दिनांक 21.11.2022 को "अंतरराष्ट्रीय आगमन हेतु दिशानिर्देश" का संशोधित संस्करण जारी किया है, जो संलग्न है।

उपर्युक्त संशोधित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने संबंधी वर्तमान दिशानिर्देश अब समाप्त किए जाते हैं।

उपर्युक्त निर्णय दिनांक 22.11.2022 (भारतीय मानक समयानुसार 00:01 बजे) से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार इसकी समीक्षा की जाएगी।

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

(मृत्युंजय शर्मा)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रति,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3. नागर विमानन महानिदेशालय [कृपया श्री अरुण कुमार, महानिदेशक के ध्यानार्थ] – इस आदेश की विषयवस्तु को संबंधित सभी पक्षों के संज्ञान में लाने हेतु।

4. महानिदेशक, बीसीएएस।
5. माननीय मंत्री जी के निजी सचिव।
6. राज्य मंत्री (नागर विमानन) के निजी सचिव।
7. माननीय नागर विमानन मंत्री के निजी सचिव।
8. सभी भारतीय विमानपत्तन प्रचालक एवं घरेलू अनुसूचित एयरलाइनें – आवश्यक कार्रवाई हेतु।

दिनांक 21.11.2022 के नागर विमानन मंत्रालय के आदेश के पैरा संख्या 3 का परिशिष्ट

दिनांक: 21 नवम्बर, 2022

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अंतरराष्ट्रीय आगमन हेतु दिशानिर्देश

(दिनांक 2 सितम्बर, 2022 को जारी दिशानिर्देशों के स्थान पर)

प्रस्तावना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में "अंतरराष्ट्रीय आगमन हेतु दिशानिर्देश" जारी किए थे तथा समय-समय पर उन्हें अद्यतन किया है। वर्तमान दिशानिर्देश कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में निरंतर गिरावट तथा वैश्विक स्तर पर एवं भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के दृष्टिगत संशोधित किए जा रहे हैं।

प्रयोजन-क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों तथा प्रवेश बिंदुओं (हवाईअड्डे, समुद्री बंदरगाह एवं स्थलीय सीमा) द्वारा अनुपालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल दिनांक **22 नवम्बर, 2022 (भारतीय मानक समयानुसार 00:01 बजे)** से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

1. यात्रा की योजना

(i) सभी यात्रियों को अपने देश में कोविड-19 के विरुद्ध स्वीकृत प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से टीकाकृत होना वांछनीय है।

2. यात्रा के दौरान

(i) उड़ान/यात्रा के दौरान तथा सभी प्रवेश बिंदुओं पर कोविड-19 महामारी के संबंध में, अपनाए जाने वाले एहतियाती उपायों (मास्क के उपयोग को वरीयता देना तथा शारीरिक दूरी का अनुपालन करना) सहित, उड़ान में घोषणा की जाएगी।

(ii) यात्रा के दौरान यदि किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो उसे मानक प्रोटोकॉल के अनुसार पृथक किया जाएगा, अर्थात् यात्री को मास्क पहनना होगा, उसे अन्य यात्रियों से अलग रखा जाएगा तथा तत्पश्चात अनुवर्ती उपचार हेतु पृथक्करण सुविधा में स्थानांतरित किया जाएगा।

3. आगमन पर

(i) विमान/यात्रा से उतरने की प्रक्रिया शारीरिक दूरी सुनिश्चित करते हुए की जाएगी।

(i i) प्रवेश बिंदु पर उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

(i i i) स्क्रीनिंग के दौरान लक्षणयुक्त पाए गए यात्रियों को तुरंत पृथक किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल (जैसा ऊपर वर्णित है) के अनुसार नामित चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा। सभी यात्रियों को आगमन के पश्चात अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी चाहिए तथा यदि उनमें कोविड-19 के लक्षण दिखाई दें, तो निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में रिपोर्ट करें अथवा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर **1075** / राज्य हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।